

आदेश ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या : 473/2025 (धारा 14 शिक्थोरिटाईजेशन)
मेन्टर होम लोन्स इण्डिया लिमिटेड (पूर्व में मेन्टर इण्डिया लिमिटेड), मेन्टर हाऊसा, गोविन्द मार्ग, सेठी
कॉलोनी, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. मैसर्स वर्गो बिल्डस्टेट प्राईवेट लिमिटेड जरिये निदेशक श्री अंकित गुप्ता पुत्र श्री जय भगवान गुप्ता,
2. श्रीमती अंशिता गुप्ता पत्नी श्री अंकित गुप्ता,
पता:- प्लॉट नं. 401, प्रेस्टीज रेजीडेन्सी, तख्तेशाही रोड, कस्तिया गली, कानोता बाग, जनता कॉलोनी,
जयपुर।
3. श्री वैभव गुप्ता पुत्र श्री जय भगवान गुप्ता,
पता- प्लॉट नं. 404, प्रेस्टीज रेजीडेन्सी, तख्तेशाही रोड, कस्तिया गली, कानोता बाग, जनता कॉलोनी,
जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
Security Interest Act, 2002

उपस्थित श्री सूरज शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक : 24.07.2025

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 18.09.2018 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी मैसर्स वर्गो बिल्डस्टेट प्राईवेट लिमिटेड जरिये निदेशक श्री अंकित गुप्ता पुत्र श्री जय भगवान गुप्ता के स्वामित्व की संपत्ति 1. प्लॉट नं. 75, ग्राम मथुरावाला व अजयपुरा, स्कीम साउथ एक्सटेन्शन, सांगानेर, जयपुर, क्षेत्रफल 138.88
2. प्लॉट नं. 76, ग्राम मथुरावाला व अजयपुरा, स्कीम साउथ एक्सटेन्शन, सांगानेर, जयपुर, क्षेत्रफल 175 वर्गगज को बन्धक रख कर कुल राशि 50,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 05.04.2025 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक/हाईपोथिकेटेड सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल रकम 50,00,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानता के रूप में अप्रार्थीगण ने सम्पत्ति वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 47,91,877/- रुपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 05.04.2025 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है, अप्रार्थीगण द्वारा नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया एवं अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।
4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी मैसर्स वर्गो विल्डस्टेट प्राईवेट लिमिटेड जरिये निदेशक श्री अंकित गुप्ता पुत्र श्री जय भगवान गुप्ता के स्वामित्व की बंधक संपत्ति 1. प्लॉट नं. 75, ग्राम मथुरावाला व अजयपुरा, स्क्रीम साउथ एक्सटेन्शन, सांगानेर, जयपुर, क्षेत्रफल 138.88 2. प्लॉट नं. 76, ग्राम मथुरावाला व अजयपुरा, स्क्रीम साउथ एक्सटेन्शन, सांगानेर, जयपुर, क्षेत्रफल 175 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं फालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द आदेश की प्रति हस्य कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।
आज दिनांक 24.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।



(Handwritten signature)

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर